निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

3 माघ 1946 (श0)

(सं0 पटना 74) पटना, वृहस्पतिवार, 23 जनवरी 2025

पत्रांक–नि० वि० स्था०–203/2013—5085
निगरानी विभाग
सूचना भवन, पटना।

प्रेषक,

रामा शंकर,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
वीरचन्द पटेल पथ,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 15 अक्तूबर 2024

विषय :– विशेष निगरानी इकाई, पटना में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से सेवानिवृत्त पुलिस अधीक्षक स्तर के संविदा पर नियोजित पदाधिकारी के पारिश्रमिक एवं सुविधाओं के पुनरीक्षण के संबंध में।

आदेश : स्वीकृत।

2. राज्य सरकार के सुशासन के अन्तर्गत भ्रष्टाचार के विरूद्ध **''जीरो टॉलरेन्स''** की नीति अपनायी गयी है। इस संदर्भ में निगरानी विभाग द्वारा भ्रष्टाचार उन्मूलन के प्रयास तेज किये गये है। सरकार की मंशा है कि भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाया जाय। इसी के अन्तर्गत निगरानी विभाग के अधीनस्थ कार्यालय विशेष निगरानी इकाई का विभागीय पत्रांक–3529 दिनांक 11.09.2006 के द्वारा गठन किया गया। वर्तमान में इस इकाई को और सशक्त बनाने एवं इनकी अनुसंधान की कार्य क्षमता में वृद्धि की आवश्यकता महसूस की गई है।

3. निगरानी अन्वेषण संवर्ग नियमावली–2012 की कंडिका–10(1)(ख) में वर्णित है कि गृह (पुलिस) विभाग द्वारा विशेष निगरानी इकाई के लिए अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के 06 (छः) पद प्रतिनियुक्ति द्वारा अथवा गृह (पुलिस) विभाग अथवा सी0बी0आई0 से सेवा निवृत्त पुलिस पदाधिकारियों की संविदा पर पुनर्नियोजन द्वारा भरे जायेंगे।

4. पूर्व में विभागीय पत्रांक–3538 (अनु०) दिनांक 12.07.2013 द्वारा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से सेवा निवृत्त पुलिस अधीक्षकों को संविदा के आधार पर नियोजित करने एवं अन्य सुविधाएँ का निर्धारण किया गया था।

5. सरकार ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से सेवा निवृत्त पुलिस अधीक्षकों के लिए सेवा शर्तों में निम्नांकित संशोधन करने का निर्णय लिया हैः–

(क) समेकित वेतन :–

क्र०	पदनाम	संबंधित विभाग जिनके पदाधिकारी से पद भरे जायेगें।	अनुबंध अन्तर्गत समेकित वेतन प्रतिमाह (रूपये में)
1	पुलिस अधीक्षक	केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से सेवा निवृत्त।	₹ 95,000/-

(ख) पदाधिकारियों के कार्यालय एवं अन्य सुविधाएँ :–

1	वाहन (भाड़े पर)	बिहार राज्य पर्यटन निगम से	₹ 40,000/- प्रति वाहन प्रतिमाह की दर से (ईंधन एवं भाड़ा सहित)
2	आवास एवं कार्यालय की सुविधा।	आवास सरकारी/निजी	₹ 30,000/- प्रतिमाह
3	मोबाईल फोन प्रतिपूर्ति	–	₹ 1,500/-

(ग) सेवा शर्त

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से सेवा निवृत्त पुलिस अधीक्षकों का अनुबंध 3 (तीन) वर्षों के लिए होगा, जिसमें एक माह के नोटिस पर सेवा मुक्त करने का प्रावधान भी होगा। पदाधिकारी के 68 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पश्चात् अनुबंध स्वतः समाप्त माना जायेगा।

6. संविदा पर नियुक्त पदाधिकारियों के वेतनादि एवं अन्य मद में होने वाले अनुमानित वार्षिक व्यय विवरणी परिशिष्ट–1 में दी गयी है। अनुमानित व्यय की कुल राशि ₹ 1,19,88,000/–(एक करोड़ उन्नीस लाख अठ्ठासी हजार रूपये) मात्र है (व्यय विवरणी संलग्न)।

7. इस वित्तीय भार का वहन मुख्य मांग संख्या–07 मुख्य शीर्ष–2070–अन्य प्रशासनिक सेवाएँ–उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–001, निदेशन तथा प्रशासन, उप–शीर्ष–0010 के विषय शीर्ष–संविदा सेवा के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

8. इस पर राज्य सरकार का आदेश प्राप्त है।

आदेश से,
रामा शंकर,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 74-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in